



“Gangmul”

Reg. No. 35 KH Dated 30.01.1984

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.,

HANUMANGARH JN- 335 512 (Raj)

ISO 22000-2018 & HACCP Certified Organisation

क्रमांक / गंगमूल:संयंत्र : 2024-25 / 10532-35

दिनांक:-13.12.2024

निविदा सूचना(Corrigendum)

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. को दुग्ध अवशीतन केन्द्र घड़साना, नोहर से दुग्ध संघ के संयंत्र तक व डेयरी संयंत्र हनुमानगढ़ से अन्य स्थानों (आरएमजी/एनएमजी) को दुग्ध परिवहन हेतु ई-निविदा दिनांक 26.11.2024 को अपलोड की गई थी। ई-निविदा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. पेज नं० 9 पर शर्त संख्या 10 में वे पार्टीया जिनके प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर एक हों/आपस में रक्त सम्बन्धी हों/आपस में वित्तीय सम्बन्ध हों तो सभी फर्म एक ही मानी जावेगी के स्थान पर वे पार्टीया जिनके प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर एक हों तो सभी फर्म एक ही मानी जावेगी।
2. पेज न० 5 में टेबल सारणी के SNo.4 में Last Date & time submission of Date 16.12.2024 at 02.00 PM को Last Date & time submission of Date 17.12.2024 at 01.00 PM पढ़ा जाये।
3. पेज नं० 20 पर शर्त संख्या 1 में In case of any increase/decrease in the rate of diesel by Govt. of India/Govt. of Rajasthan on the rate prevailing on 01.01.2025 at Hanumangarh के स्थान पर In case of any increase/decrease in the rate of diesel by Govt. of India/Govt. of Rajasthan on the rate prevailing last date of tender submission at Hanumangarh
4. पेज नं० 30 पर मेरे/हमारे अथवा मेरी/हमारी फर्म को हनुमानगढ़ दुग्ध में किसी भी कारण से अयोग्य नहीं किया गया है/किसी भी अनियमितता के कारण निलंबित नहीं किया गया है/अनुबन्ध निरस्त नहीं किया गया/अमानत राशि जब्त नहीं की गयी है/टैण्डर शर्तों की अवहेलना पर शास्ती नहीं लगाई गई है/पूर्व में किसी भी संघ में दुग्ध चोरी में लिप्त या पकड़ा नहीं गया हूँ/संघ के विरुद्ध अनियमितताओं में दोषी नहीं पाया गया हूँ/ब्लेक लिस्टेड नहीं हुआ हूँ के स्थान पर मेरे/हमारे अथवा मेरी/हमारी फर्म का हनुमानगढ़ दुग्ध संघ/आरसीडीएफ के अन्य दुग्ध संघों द्वारा अनुबन्ध निरस्त नहीं किया गया/अमानत राशि जब्त नहीं की गयी है/ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।

(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी संयंत्र।
2. प्रभारी लेखा।
3. वरिष्ठ निजी सहायक प्रबन्ध संचालक।
4. कार्यालय पत्रावली/रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

प्रबन्ध संचालक